

सेवा में.

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनयान श्री शमलाल पिता/पति श्री किशान कुमावत
बनाम

राज्य सरकार जारिये तहसीलदार बस्ती

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनयान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री शमलाल पिता/पति.....
निवासी आंवलहेडा का/की हु/है।
मेरे हमारे पटवार हल्का आंवलहेडा के राजस्व ग्राम आंवलहेडा में खाता संख्या 246
किता 7 रकबा 1.15 है. भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम शमलाल कुमावत दर्ज है
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में शमलाल कुमावत दर्ज करवाना चाहती हु/चाहता हुं।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम शमलाल कुमावत के बजाय शमलाल कुमावत दर्ज करवाने की कृपा
करावे।


दिनांक 17/10/2025



हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का आंवलहेडा
महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री शमलाल पिता/पति किशान कुमावत निवासी आंवलहेडा
राजस्व ग्राम आंवलहेडा पटवार हल्का आंवलहेडा की जमाबन्दी में खाता सं-246 में
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/ग्राम के रूप में शमलाल कुमावत दर्ज करवाना चाहता हुं/चाहते है। दोनो
जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते है। अतः
संशोधन किया जाना उचित है।


हस्ताक्षर पटवारी
आंवलहेडा


हस्ताक्षर मे.अ.नि

पटवार राजस्व
तह. बस्ती (चित्तौड़गढ़)

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-भू.अ./2025/

दिनांक- 17/10/2025

प्रेषित।

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रामा पिता/पत्नि किशना कुमारी निवासी आंवलेडा पटवार हल्का आंवलेडा के राजस्व ग्राम आंवलेडा में जमायन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 246 में जाति/ग्राम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम रामलाल पुत्र किशना किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम रामलाल पुत्र का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। किशना कुमावत

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार बस्सी

जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-रीडर/2025/602

दिनांक- 31/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का आंवलेडा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री रामलाल पिता/पत्नि किशना कुमारी राजस्व ग्राम आंवलेडा पटवार हल्का आंवलेडा की खाता संख्या 246 में जाति/नाम रामा पुत्र किशना दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रामा पिता/पत्नि किशना कुमावत की जाति/नाम रामलाल पुत्र किशना एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का आंवलेडा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।